सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 18/16

सुरेन्द्रमोहन सूद पुत्र श्री जगन्ननाथ निवासी 20 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. कौशल्यादेवी मृतका –
1.1 श्रीमती रूपीला मेहरा पुत्री श्री कौशल्यादेवी निवासी Whispering winds Farm addevishwanathapura, Arekere[P] DODDA BALLAPUR, Banglore 561203
1.2 श्रीमती विपलासिंह पुत्री कौशल्यादेवी पत्नी श्री अशोक चड्ढा निवासी 376 Malabar Manssion, 13th Main Koramangla, Banglore -34
2. सरपंच, ग्राम पंचायत संगराना तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश व निर्णय तहसीलदार, रायसिंहनगर व उप तहसीलदार, गजसिंहपुर दिनांक 19–02–16 व 22.02.16

उपस्थित :1.श्री रामप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री सुभाष मिढा,अधिवक्ता,रेस्पो0सं0 2.1से 1.2

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

आदेश दिनांक : 22–04–16

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं अपीलाधीन आराजी श्री रामरतन सूद मृतक की खातेदारी थी, जिन्होनें जरिये वसीयत दिनांक 30–7–43 आराजी मुतनाजा की वसीयत अपीलांट के हक में कर दी थी और यह दर्ज किया कि उसकी पत्नी दुर्गादेवी को उसमें केवल गुजारा जिन्दगी ही मिलेगा और दुर्गादेवी को इस आराजी में किसी भी प्रकार से बेचने व रहन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस आराजी की बाबत एक प्रोबेट जिला जज लाहौर ने दिनांक 27–7–1944 को जारी किया, जिसको दुर्गादेवी ने प्रार्थना पत्र देकर जारी करवाया था। इसके बाद इसकी अपील उच्च न्यायालय लाहौर में हुई व उच्च न्यायालय ने जिला जज लाहौर का आदेश बहाल रखा। इस प्रकार उक्त आराजी रामरतन की मृत्यू के बाद दुर्गादेवी की सहमति से कब्जा वापिस लेने के लिए अर्सा

दराज से अपीलांट के कब्जे में चली आ रही है, जिसकी बाबत कई मुकदमें श्रीमती दुर्गादेवी ने अदालत में किए, लेकिन कब्जा पाने में विफल रही। श्रीमती दुर्गादेवी की मृत्यू के बाद श्रीमती कौशल्यादेवी ने बिना अधिकार फर्जी वसीयत जो माता की तरफ से कहना बताया गया , दिनांक 30–1–78 को प्राप्त की और उसके आधार पर दिनांक 14–5–88 को अपने हक में पंचायत से मिलकर इंतकाल दर्ज करवा लिया। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 13–6–90 को ग्राम पंचायत का उक्त आदेश निरस्त कर दिया और आदेश दिया कि फरीकैन को समुचित अवसर देकर गुण अवगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। दुर्गादेवी को इस आराजी बाबत कोई भी अधिकार नहीं था और दुर्गादेवी को इस आराजी बाबत वसीयत करने का भी कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उसको तो सीमित अधिकारही 1943 में गुजारे के लिए दिये गये थे इसलिए वसीयत दिनांक 30–1–78 बिना अधिकार के थी और उसमें कोई अधिकार रेस्पो0 सं0 1 कौशल्यादेवी को नहीं पहुँचते थे और उसका कोई प्रभाव नहीं था। दुर्गादेवी ने अपने मुकदमें में स्वंय के बयानों में साफ तौर से कहा था कि ' सुरेन्द्र मुदायला मेरे सगे देवर का लड़का है, मेरा पति मरने से पूर्व मुझे (दुर्गादेवी) को कह गया व तहरीर कर गया कि मेरे (मुझ दुर्गादेवी के) मरने के बाद जमीन सुरेन्द्र के पास जायेगी "। दुर्गादेवी ने एक दावा दिनांक 10–4–68 को 188 आर टी एक्ट का किया जो बिना इजाजत विड्रा कर लिया गया और उसके बाद दिनांक 15–7–68 को दुर्गादेवी ने 183 आर टी एक्ट का दावा किया, उसमें यह माना कि उक्त जमीन उसको गुजारे के लिए दी गई है, जो दिनांक 10–11–68 को खारिज हो गया। कौशल्यादेवी ने एक अन्य दावा सं0 23/89 अ0 धरा 183 आर टी एक्ट का दायर किया जो दिनांक 28–4–10 को खारिज हो गया। इस प्रकार दोनों दावे जो कौशल्यादेवी की ओर से दायरे किए गए थे, वे खारिज हो चुके हैं। मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 13.1.116 में कौशल्यादेवी का मुकदमा दिनांक 28–4–10 को खारिज होना मान लिया है। दुर्गादेवी और कौशल्यादेवी की मृत्यू हो चुकी है। अपीलाधीन भूमि वसीयत की बिनाय पर अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है और वसीयत की बिनाया पर ही अपीलांट इसका एबसोल्यूट मालिक बन गया था। रेस्पो0 की तरफ से एक दर0 अ0 धारा 212 आर टी एक्ट बाबत रिसीवर किये जाने आराजी दी गई, जिसको अदालत मातहत रायसिंहनगर ने दिनांक 27–11–69 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलांट के पास कब्जा वसीयत की बिनाय पर बहुत अर्सा से चला आ रहा है, कब्जा घुसपैठ का नहीं है और किसी भी तरीके से इस जमीन पर रिसीवर मुकरर्र नहीं किया जा सकता है। ग्राम पचायत संगराना ने चुपचाप मिलीभगत से दिनांक 11.7.90 को बिना

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्टरेट, श्रीगंगानगर

सुनवाई किये और बिना वसीयत को देखे और बिना जॉच किये रेस्पो0 के हक में इंतकाल का आदेश दे दिया, जिसके खिलाफ अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में अपील पेश की, जिसमें दिनांक 10–7–97 को आदेश दिया गया कि इस संबंध में राजस्व वाद चल रहा है और उसके साथ इस मोटेशन की अपील रखी जावे और वाद में किए गए फैसले अनुसार ही अपील का निरस्तारण किया जावे। उक्त अपील मोटेशन का फैसला नहीं हो पाया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्व आदेश देकर कि सरपंच ग्राम पंचायत संगराना निर्णय दिनांक 11.7.90 के संबंध में कार्यवाही की जावे, जो विधि विरूद्व है क्योंकि वसीयत की बिनाय पर फरीकैन को सुनना जरूरी है। अपीलांट को विवादित मुकदमें में सुना ही नहीं गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश देकर नायब तहसीलदार गजसिंहपुर को आदेश दिया कि दिनांक 15.2.16 को यह आदेश पारित किया कि ग्राम पंचायत संगराना ने दिनांक 11.7.90 की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 14–5–88 को बहाल रखा गया है। इस प्रकार इंतकाल सं0 42 का बहाली का नोट ही लगाना है। बिना सुनवाई किए नायब तहसीलदार, गजसिंहपुर ने उक्त आदेशों की पालना करने के लिए पटवारी को लिख दिया और पटवारी ने इंतकाल पर यह नोट दर्ज कर दिया कि आदेश दिनांक 15.2.16 व 19.2.16 के अनुसार इंतकाल सं0 42 को बहाल रखा गया है इसलिए आदेशानुसार बहाली का अंकन किया गया। पटवारी द्वारा किया गया अंकन विधिविरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेगूलर दावा होने के कारण से इस इंतकाल की कार्यवाही को दावे के साथ रखा गया था और रेस्पो0 के दोनों दावे खारिज हो चुके थे, जिसकी कोई अपील आदि नहीं की गई व आदेश अंतिम हो चुका था। इसके उपरांत अपीलांट ने एक दावा अ0 धारा 88/188, 92 ए उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर के न्यायालय में दिनांक 22.2.16 को पेश किया, जिसपर दिनांक 23.2.16 को अ0 धारा 212 के अन्तर्गत कुल आराजी 48 बीघा के बारे में रहन बैय नहीं करने के लिए विरोधी पक्ष के खिलाफ स्टे भी पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

अपील से संबंधित अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि मु0 नं0 48 व 51 की 48 बीघा चक 20 आर बी तह0 रायसिंहनगर में अपीलांट के ताया रामरतन सूद द्वारा बजरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट को दी गई थी और उसके बारे में अपीलांट की ताई

श्रीमती दुर्गादेवी ने जिला जज लाहौर से प्रोबेट भी जारी करवा दिया था, जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने उस फैसले को बरकरार रखते हुए प्रोबेट को सही करार दिया और उसी के आधार पर अपीलाधीन भूमि का कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है। दुर्गादेवी ने एक दावा दिनांक 10–4–68 को 188 आर टी एक्ट का किया और फिर धारा 183 आर टी एक्ट का किया और अदालत से रिसीवर कायम करने की प्रार्थना की जो अदालत द्वारा दिनांक 27–11–79 को इस बिनाय पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट के पास कब्जा वसीयत के आधार पर बहुत अर्से से चला आ रहा है और भूमि पर किसी भी तरीके से रिसीवर नहीं किया जा सकता। इस मुकदमें में दुर्गादेवी ने शपथ पर ब्यान भी दिये कि **'सुरेन्द्र मुदायला मेरे सगे देवर का लड़का है, मेरा पति मरने से पूर्व मुझे (दुर्गादेवी) को कह गया व तहरीर कर गया कि मेरे (मुझ दुर्गादेवी के) मरने के बाद जमीन सुरेन्द्र के पास जायेगी "।** वह दावा भी दिनांक 10.11.86 को खारिज हो गया था। एक अन्य दावा सं0 23/89 दुर्गादेवी की लड़की कौशल्यादेवी ने अ0 धारा 183 आर टी एक्ट के तहत दुर्गादेवी की गैरकानूनी वसीयत दिनांक 30.1.78 के अनुसार दायर किया जो दिनांक 28.4.10 को खारिज हो गया। **कौशल्यादेवी ने ग्राम पंचायत से मिलकर अपीलाधीन भूमि का इंतकाल दिनांक 14.5.88 कोअपने नाम से करवा लिया, जिसकी अपील अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में की गई, जिसके निर्णय दिनांक 13.6.90 को ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त कर दिया और दोनों पक्षों को समुचित** अवसर **देकर सुनकर** गुण अवगुण **के आधार पर निर्णय पारित करने के** निर्देश दिये। ग्राम पंचायत संगराना ने मिलीभगत से दिनांक 11.7.90 को बिना सुनवाई के दुर्गादेवी की वसीयत की बिना जॉच किए ही फिर इंतकाल रेस्पो0 के हक में करने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में अपील की गई जो आदेश दिनांक 10.7.97 के अनुसार रेस्पो0 के मूल वाद सं0 23/89 के साथ इस निर्देश के साथ संलग्न कर दी गई कि वाद में किये गये फैसले के अनुसार अपील का निस्तारण होगा और आदेश दिनांक 28.4.10 के अनुसार वाद निरस्त हो गया परन्तु अपील का निस्तारण नहीं हुआ और अपील स्थानान्तरित होकर उपखण्ड मजि0, श्रीकरणपुर के न्यायालय को भेज दी गई। इस प्रकार इंतकाल की कार्यवाही लम्बित रही। रेस्पोडेन्ट द्वारा दायर किये गये तीनों दावे खारिज हो चुके हैं और उनका अपीलाधीन भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहा है और अपीलांट रामरतन द्वारा की गई वसीयत की बिनाय पर पूर्ण रूप से मालिक बन चुके थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल संबंधी कार्य करने के लिए तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिया कि फरीकैन को सुनकर फैसला किया जावे, अगर कोई स्थगन है तो उसकी

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

पालना की जावे। प्रकरण में कलक्टर महो0 का दिनांक 12.7090 का स्थगन आदेश था, लेकिन तहसीलदार, रायसिंहनगर व उप तहसीलदार, गजसिंहपुर ने विधि विरूद्व कार्यवाही करते हुए न तो सुनवाई का समुचित अवसर दिया और न ही वसीयत की जॉच की बल्कि सीधे ही प0 ह0 को लिख दिया और आदेश मुतनाजा के जरिये इंतकाल सं0 42 को बहाल रखने का आदेश दे दिया जो विधिविरूद्व है। धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत विवादित प्रकरणों में ग्राम पंचायत को इंतकाल दर्ज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का गत 60 वर्षो से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर न अपने आदेश दिनांक 27–11–69 एवं मा0 राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 24–5–90 में अपीलांट का कब्जा वैध माना है। दुर्गादेवी को आगे वसीयत करने का अधिकार नहीं था, उसे सिर्फ गुजारा जिन्दकी के अधिकार थे। गुजारा जिन्दगी के अधिकार एबसोल्यूट अधिकार नहीं बन सकते । अपने इस तर्क के समर्थन में ए0आई0आर0 1971 एस0सी0 पेज 745, जे0टी0 1994(1) एस0सी0 पेज 535, 2013 ढब्ल्यू एल सी(एस0सी0) सिविल पेज 678 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। लिखित बहस में आगे कथन किया है कि दिनांक 11–7–90 के आदेश में दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.7.90 को नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुने , अवैध वसीयत के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो किसी भी तरीके से विधिसम्मत् नहीं है। मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। अपीलाधीन भूमि बाबत एक वाद उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में धारा 88,92 ए व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 23–3–16 को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत स्थगन आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार वसीयत के आधार पर रेगूलर वाद में फैसला होना है और इंतकाल की कार्यवाही महज फिसकल कार्यवाही है। रेगूलर वाद के फैसले तक इंतकाल की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिये। इस प्रकार लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जावे और इंतकाल निरस्त फरमाया जावे। लिखित बहस के समर्थन में बहस में वर्णित न्यायिक दृष्टान्त के अलावा 2009(2) आर आर टी पेज 816, आर आर डी 2009 पेज 510, आर आर डी 1999 पेज 514, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, 1993 आर एल आर पेज 380 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चूँकि इंतकाल विवादित है तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव लिया जाकर तस्दीक किया गया है इसलिए प्रस्तुत अपील धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त महोदय को है। प्रस्तुत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे0(4) 1997 पेज 201 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय से उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्रीमती रूपीला मेहरा एवं श्रीमती विपिलासिंह जो कौशल्यादेवी की पुत्रियॉ हैं, ने जरिये मुख्त्यारआम श्री तरणजोतसिंह तहसीलदार, रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल दिनांक 12–5–88 एवं सरपंच ग्राम पंचायत संगराना के आदेश दिनांक 11.7.90 के संबंध में अपील सं0 1/14 जिसका पुराना नं0 1/94 उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर था, का निर्णय दिनांक 15–2–16 को होकर अपील खारिज हो चुकी है । अतः इंतकाल बहाल करने एवं पुत्रियों के नाम विरससतन इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर ने दिनांक 15–2–16 को आदेश पारित किया कि सरपंच ग्राम पचायत संगराना के आदेश दिनांक 11.7.90 के संबंध में तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करें। इस संबंध में यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश हो तो उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

ग्राम पंचायत 20 आर बी द्वारा प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 11.7.90 के द्वारा ग्राम पंचायत के पूर्व निर्णय दिनांक 14.5.88 को ही बहाल रखा गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अपील सं0 13/88 में दिनांक 13–6–90 को निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत संगराना द्वारा प्रमाणित नामान्तरण दिनांक 14–5–88 कमांक 42 निरस्त कर दिया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कलक्टर महो0 द्वारा जारी स्थगन आदेश कमांक सीजी/वाचक/विविध/90/2578 दिनांक

प्रमाणित प्रतिलिपि
अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

12–7–90 उपलब्ध था, जिसमें यथास्थिति कायम करने के आदेश दिये गये हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन भूमि मु0 नं0 48 व 51 की 48 बीघा चक 20 आर बी तह0 रायसिंहनगर में अपीलांट के ताया रामरतन सूद द्वारा बजरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट को दी गई थी और उसके बारे में अपीलांट की ताई श्रीमती दुर्गादेवी ने जिला जज लाहौर से प्रोबेट भी जारी करवा दिया था, जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने उस फैसले को बरकरार रखते हुए प्रोबेट को सही करार दिया और उसी के आधार पर अपीलाधीन भूमि का कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है। अपीलांट के पास अपीलाधीन भूमि का कब्जा होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है क्योंकि पूर्व में पारित निर्णयों में कब्जा अपीलांट का वैध माना गया है।

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009(2) आर आर टी पेज 216 में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि ' राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 135 नामान्तरण 'आर' के पुत्र एच' के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया – अप्रार्थिया जी आर की पुत्रि होने का दावा कर रही है और उसने भी एक नियमित वाद घोषणा हेतु पेश किया जो निर्णय हेतु विचाराधीन है – नामान्तरण कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है और अधिकार अधिनिर्णित नहीं हो सकते – निर्णित, रिमाण्ड का आदेश न्यायोचित नहीं है व अपास्त किया और नियमित वाद के निस्तारण तक नामान्तरण कार्यवाही स्थगित रखी'।

आर आर डी 2009 पेज 510 में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि ' In Veiw of the possession on the disputed land and the rights, petitioner must be impleaded as a party in order to pass the judgement and to avoid unnecessary cases between the parties.

आर आर डी 1999 पेज 514 में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि ' Matter is pending in compitent court - The proceeding of mutation order to be kept pending till decision.

The Hindu Succession ACt, 1956 - 1983 आर एल आर पेज 380 में अभिनिर्धारित किया गया है कि Any property

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

possessed in widow cannot claim benefit of Sec 14 unless she is in physical possession of Land.

AIR 1971 S.C.- P. 745 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि ' The Life estate given to her under the will cannot become an absolute estate under the provisions of the Hindu Succession Act.

JT 1994 (1) एस.सी.पेज 535 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि 'Held that life estate 0f widow under a will does not get enlarge into an absolute estate under section 14(1)

2013 WLC [SC] Civil P. 678 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि Hindu Succession ACt 1956 S. 14[2] Applicabillity Prpperty acquired by Hindu female under will or gift fiving her life interest cannot become absolute interest vide exception to S.14[2]

प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलांट को अपीलाधीन भूमि जरिये वसीयत प्राप्त हुई है और उस वसीयत की प्रोबेट भी जारी हो चुकी है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में वाद भी रेस्पो0 के विरूद्व निर्णित हो चुके हैं। भौतिक रूप से अपीलाधीन भूमि का कब्जा प्रारम्भ से ही अपीलांट के पास है। राजस्व न्यायालयों एवं मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपीलांट का कब्जा वैध माना गया है। यही नहीं, पटवारी द्वारा जो गिरदावरी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, में यह नोट अंकित किया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 24–5–90 द्वारा कब्जा वैध है। उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 7–5–12, 28–4–14 एवं 16–4–15 के पत्रावली में उपलब्ध हैं। अपीलाधीन भूमि पर दुर्गादेवी अथवा उसके वारिसों का कभी भी विधिपूर्ण कब्जा नहीं रहा है और न ही भौतिक रूप से अपीलाधीन भूमि उनके कब्जे में रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार दुर्गादेवी को वसीयत करने के वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वसीयत की जॉच नहीं की गई है और न ही उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 13–6–90 की पालना की गई है। विवादित इंतकाल को पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर का है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय जिला कलक्टर
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–3–16 में अपील एल0आर0 एक्ट प्रकरण सं0 40/16 सुरेन्द्रमोहन सूद बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत संगराना जो उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर के न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 1/14 (पुराना प्रकरण सं0 1/94) में दिनाक 15–2–16 को पारित किया गया है, को स्थगित रखते हुए विवादित भूमि को किसी प्रकार रहन बैय अथवा अन्य तरीके से हस्तान्तरण न करने तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। दिनांक 15–2–16 के आदेश के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–2–16 का आदेश पारित कर, इंतकाल सं0 42 पर दिनांक 22–2–16 को बहाली का नोट अंकित किया है।

विवादित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में घोषणा का रेगूलर वाद अ0 धारा 88,92, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है व उसमें दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन जारी किया हुआ है। इस प्रकार वसीयत के आधार पर रेगूलर वाद में हक व अधिकार तय होने हैं।रेगूलर वाद में निर्णय का जो भी प्रभाव रहेगा, उसी अनुरूप विधिसम्मत् इंतकाल की कार्यवाही की जायेगी। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनाक 19–2–16 व उसकी पालना में इंतकाल सं0 42 पर दर्ज बहाली का नोट दिनांक 22–2–16 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 22.4.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल) 22/4/16
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय विभाग
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर